क्रम संख्या–137(क)

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 31 अक्टूबर, 2005 ई0
कार्तिक 09, 1927 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 607/विधायी एवं संसदीय कार्य/2005
देहरादून, 31 अक्टूबर, 2005

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन विधेयक, 2005 पर दिनांक 27 अक्टूबर, 2005 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल का अधिनियम संख्या 22, सन् 2005 के रूप में सर्व–साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005

(अधिनियम संख्या 22, वर्ष 2005)

राजकोषीय स्थायित्व और सम्पोषणीयता सुनिश्चित करने और पर्याप्त राजस्व अधिशेष की प्राप्ति करके राजकोषीय घाटे में कमी लाकर और राजकोषीय नीति के प्रभावी संचालन में आने वाली अड़चनों को दूर करने और राज्य सरकार द्वारा लिये जाने वाले उधारों, सरकारी प्रत्याभूतियों, ऋणों और घाटों पर सीमा निर्धारण और मध्यकालिक राजकोषीय रूपरेखा के प्रयोग में महत्तर पारदर्शिता के माध्यम से विवेकपूर्ण ऋण प्रबन्ध द्वारा सामाजिक और भौतिक अवसंरचना के सुधार और मानव विकास के अवसर में वृद्धि करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार के उत्तरदायित्व और उससे सम्बन्धित या आनुषांगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तरांचल राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 है।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त, नियत करे।

परिभाषाएं

2. जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,–

(क) "वार्षिक बजट" से संविधान के अनुच्छेद 202 के अधीन राज्य विधान सभा के समक्ष रखा गया वार्षिक वित्तीय विवरण अभिप्रेत है;

(ख) "चालू वर्ष" से ऐसे वर्ष का पूर्ववर्ती वर्ष अभिप्रेत है जिसके लिए बजट प्रस्तुत किया जा रहा हो;

(ग) "राजकोषीय घाटा" से,

(i) किसी वित्तीय वर्ष के दौरान ऋण प्राप्तियों को छोड़कर कुल प्राप्तियों से अधिक राज्य की समेकित निधि से कुल संवितरण (ऋण के प्रतिसंदाय को छोड़कर) अभिप्रेत है, या

(ii) स्वकर और करेतर राजस्व प्राप्तियों, राज्य को भारत सरकार से न्यागमन और अन्य अनुदानों और किसी वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणेतर पूंजीगत प्राप्तियों, जो किसी वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य सरकार की उधार सम्बन्धी अपेक्षाओं व ऋण के शुद्ध प्रतिसंदाय को रुपित करती हैं, से अधिक राज्य सरकार की समेकित निधि से (उधारों को लेकर किन्तु ऋण के प्रतिसंदाय को छोड़कर) कुल व्यय अभिप्रेत है;

(घ) "राजकोषीय सूचकों" से राज्य सरकार की राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद या किसी अन्य किन्हीं अनुपातों की, जैसा विहित किया जाय, अधिकतम आंकिक सीमा और अनुपात जैसे माप अभिप्रेत हैं;

(ङ) "पूर्ववर्ती वर्ष" से चालू वर्ष का पूर्ववर्ती वर्ष अभिप्रेत है;

(च) "राजस्व घाटा" से राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के मध्य अन्तर अभिप्रेत है;

(छ) "कुल दायित्वों" से राज्य की समेकित निधि और राज्य लोक लेखा के अधीन दायित्व अभिप्रेत है।

विधान सभा के समक्ष रखी जाने वाली मध्यकालिक राजकोषीय नीति

3. (1) राज्य सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विधान सभा के समक्ष वार्षिक बजट के साथ मध्यकालिक राजकोषीय नीति रखेगी।

(2) मध्यकालिक राजकोषीय नीति में विहित राजकोषीय सूचकों के लिए अन्तर्निहित धारणाओं के विनिर्देश के साथ त्रिवर्षीय चल लक्ष्य उपवर्णित होंगे।

(3) विशिष्टतः और उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मध्यकालिक राजकोषीय नीति के अन्तर्गत निम्नलिखित से सम्बन्धित संपोषणीयता का निर्धारण भी होगा :–

(i) राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के मध्य अधिशेष;

(ii) उत्पादकारी आस्तियों के सृजन के लिए पूंजीगत प्राप्तियों का, जिसके अन्तर्गत उधार भी है, प्रयोग।

(4) मध्यकालिक राजकोषीय नीति में, अन्य बातों के साथ–साथ, निम्नलिखित होंगे :–

(क) राज्य सरकार के मध्यकालिक राजकोषीय उद्देश्य;

(ख) बजट में दिये गये लक्ष्य की तुलना में विहित राजकोषीय सूचकों के आधार पर निष्पादन का मूल्यांकन और पुनरीक्षित प्राक्कलनों के अनुसार चालू वर्ष में सम्भावित निष्पादन;

(ग) हाल की आर्थिक प्रवृत्तियों और राज्य सरकार की राजकोषीय स्थिति को प्रभावित करने वाली वृद्धि एवं विकास की भावी सम्भावनाओं पर विवरण;

(घ) आगामी वित्तीय वर्ष के लिए राजकोषीय क्षेत्रों में राज्य सरकार की प्राथमिकताएं;

(ङ) आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कराधान, व्यय, उधारों और अन्य दायित्वों, उधार दिये जाने और निवेश, प्रशासित माल और सेवाओं के मूल्य निर्धारण, प्रत्याभूतियों और सार्वजनिक क्षेत्र के क्रियाकलापों जिनकी सम्भावित आय–व्ययक उपलक्षणा हो, से सम्बन्धित राज्य सरकार की नीतियों और इनमें प्रत्येक से सम्बन्धित मूल राजकोषीय अध्युपाय और लक्ष्य;

(च) इस सम्बन्ध में यह मूल्यांकन कि राज्य सरकार की चालू नीतियां किस प्रकार धारा 4 में दिये गये राजकोषीय प्रबन्ध सिद्धान्तों और मध्यकालिक राजकोषीय नीति में दिये गये वित्तीय उद्देश्यों के अनुरूप हैं।

(5) मध्यकालिक राजकोषीय नीति यथाविहित प्रपत्र में होगी।

वित्तीय प्रबन्ध नीतियां

4. (1) राज्य सरकार, निम्नलिखित राजकोषीय प्रबन्धन सिद्धान्तों द्वारा मार्ग–दर्शित होगी :–

(क) प्रबुद्ध स्तरों पर सरकारी ऋण का अनुरक्षण करना;

(ख) प्रत्याभूतियों और अन्य समाश्रित दायित्वों का, ऐसे दायित्वों की गुणवत्ता और उनके स्तर को विशिष्ट रूप से निर्दिष्ट करते हुए प्रबन्ध करना;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि सरकार के नीति विषयक विनिश्चयों में भविष्य की पीढ़ी पर उसकी वित्तीय उपलक्षणा पर सम्यक् ध्यान दिया गया है;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि उधार का उपयोग ऐसे विकास सम्बन्धी क्रियाकलापों पर, जिनके सम्बन्ध में यह मूल्यांकन किया गया हो कि वे स्वयं संपोषित हो जायेंगी और पूंजीगत आस्तियों के सृजन और उनकी वृद्धि पर किया जाय और उनका उपयोग वर्तमान व्यय के वित्त पोषण पर न किया जाय;

(ङ) कर भार के स्तर में स्थायित्व और भविष्य सूचकता का उचित स्तर सुनिश्चित करना;

(च) विशेष प्रोत्साहनों, रियायतों और छूटों को न्यूनीकृत करके कर प्रणाली की समग्रता को बनाए रखना;

(छ) आर्थिक दक्षता और अनुपालन लागतों पर सम्यक् ध्यान देते हुए कर सम्बन्धी नीतियों का अनुसरण करना;

(ज) लागत वसूली और साम्या पर सम्यक् ध्यान देते हुए करेतर राजस्व नीतियों का अनुसरण करना;

(झ) ऐसी व्यय सम्बन्धी नीतियों का अनुसरण करना जिससे आर्थिक विकास, गरीबी में कमी और मानव कल्याण में सुधार को प्रोत्साहन प्राप्त हो सके;

(ञ) पूंजी सृजन और उत्पादक व्यय में उपयोग के लिए राजस्व अधिशेष का सृजन करना;

(ट) यह सुनिश्चित करना कि सरकार की भौतिक आस्तियों का अनुरक्षण उचित रूप से किया जाता है;

(ठ) पर्याप्त सूचना का प्रकट करना जिससे कि जनता राजकोषीय नीति के संचालन और लोक वित्तीय स्थिति की संवीक्षा कर सके;

(ड) यह सुनिश्चित करना कि सरकार संसाधनों का उपयोग ऐसे ढंग से करती है जिससे कि धन का सर्वाधिक मूल्य प्राप्त हो सके और यह भी सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक आस्तियों का सर्वाधिक उपयोग संभव हो;

(ढ) लोक कल्याण और सेवा प्रदान कर रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और जनोपयोगी सेवाओं के संचालन से सम्बद्ध राजकोषीय जोखिम को न्यूनीकृत करना;

(ण) राजस्व वसूली के स्तर के अनुरूप व्यय का प्रबन्ध करना;

(त) सामान्य आर्थिक दृष्टिकोण और राजस्व सम्भावनाओं पर सम्यक् ध्यान देते हुए यथार्थ और निरपेक्ष रीति से बजट तैयार करना और वर्ष के दौरान विचलन को न्यूनीकृत करना;

(थ) चालू दायित्वों का समय से निस्तारण करना।

(2) राज्य सरकार राजस्व घाटा दूर करने और संपोषणीय स्तर पर राजकोषीय घाटा नियंत्रित रखने और पर्याप्त राजस्व अधिशेष निर्मित करने के समुचित उपाय करेगी।

(3) विशेष रूप से और पूर्ववर्ती उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य सरकार–

(क) 1 अप्रैल, 2005 से प्रारम्भ होने वाले और 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले चार वित्तीय वर्षों की अवधि के भीतर राजस्व घाटा शून्य करेगी;

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट प्रत्येक वित्तीय वर्ष में खण्ड (क) में दिये गये लक्ष्य के संगत रीति से सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के अनुसार राजस्व घाटे में कमी करेगी;

(ग) खण्ड (क) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से अनधिक तक राजकोषीय घाटे में कमी करेगी;

(घ) खण्ड (ग) में दिये गये लक्ष्य के संगत रीति से, खण्ड (क) में निर्दिष्ट प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के अनुसार राजकोषीय घाटे में कमी करेगी;

(ङ) इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के समय विद्यमान राज्य सरकार के किसी नियम या विधि या इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा बनाये जाने वाले किसी नियम या विधि के अधीन नियत सीमा से अधिक किसी धनराशि के लिए प्रत्याभूति नहीं देगी;

(च) 1 अप्रैल, 2005 से प्रारम्भ होने वाले और 31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाले दस वित्तीय वर्षों की अवधि के भीतर सुनिश्चित करेगी कि अंतिम वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कुल दायित्व, उस वर्ष के लिए प्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के पच्चीस प्रतिशत से अधिक न हो :

परन्तु यह कि आन्तरिक सुरक्षा एवं प्राकृतिक आपदाओं के कारण राज्य सरकार के वित्त पर अप्रत्याशित मांगों के आधार या आधारों पर, राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा इस उपबंध में विनिर्दिष्ट सीमाओं से इस शर्त के अध्यधीन बढ़ सकता है, कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण उद्भूत सीमाओं का आधिक्य वास्तविक राजकोषीय मूल्य जो आपदाओं के लिए आरोपित किया जा सकता हो, से अधिक नहीं होगा :

परन्तु यह और कि प्रथम परन्तुक में विनिर्दिष्ट आधार या आधारों की, यह संभाव्य हो जाने के पश्चात् कि ऐसी घाटे की धनराशि उपर्युक्त सीमाओं से बढ़ जायेगी, विधान मण्डल के समक्ष, आधिक्य की संभावित सीमा और उसके कारणों को अधिकथित करते हुए, एक रिपोर्ट के साथ रखा जाएगा।

राजकोषीय पारदर्शिता के लिए उपाय

5. (1) राज्य सरकार लोकहित में अपने राजकोषीय प्रवर्तनों में अधिकाधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए समुचित उपाय करेगी और जहां तक साध्य हो, वार्षिक बजट की तैयारी में गोपनीयता को कम करेगी।

(2) विशेष रूप से और पूर्ववर्ती उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य सरकार, वार्षिक बजट तैयार किये जाने के समय ऐसे प्रपत्र में जो विहित किया जाय, एक विवरण में निम्नलिखित प्रकट करेगी :–

(क) विहित वित्तीय सूचकों को प्रभावित करने वाले या प्रभावित करने की सम्भावना वाले लेखा मानकों, नीतियों और पद्धतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन;

(ख) जहां तक सम्भव हो, और लोकहित की संरक्षा के अनुरूप, प्रत्याभूतियों द्वारा सृजित आकस्मिक दायित्व; सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा उधार से उद्भूत होने वाले वास्तविक दायित्व और असामान्य उद्देश्य साधन और अन्य समकक्ष लिखत, जहां प्रतिसंदाय का दायित्व राज्य सरकार के आवंटनों पर हो तथा संभावित आय–व्ययक उपलक्षणा वाली राज्य सरकार की प्रतिबद्धताओं जिनमें समुत्थापित किन्तु अनाप्त राजस्व मांग, कर व्यय; सार्वजनिक माल एवं सेवाएं सार्वजनिक उपयोगिताओं एवं उपक्रमों के माध्यम से उपलब्ध कराने में उपगत क्षतियां, वृहद् कार्यों और संविदाओं से सम्बन्धित दायित्व; और आर्थिक सहायता के संदाय और धारा–4 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट लक्ष्यों सहित राज्य की राजकोषीय स्थिति पर उक्त का प्रभाव।

अनुपालन प्रवर्तित करने के उपाय

6. (1) वार्षिक बजट और बजट के समय घोषित नीतियां आगामी और भावी वर्षों के लिए मध्यकालिक राजकोषीय नीति में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों और लक्ष्यों के अनुरूप होंगी।

(2) वित्त विभाग का प्रभारी मंत्री प्रत्येक अर्द्ध वर्ष पर बजट से सम्बन्धित प्राप्तियों और व्यय के रुख, बजट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किये जाने वाले उपचारी उपायों का पुनर्विलोकन करेगा और ऐसे पुनर्विलोकनों के परिणाम को विधान सभा के समक्ष रखेगा। पुनर्विलोकन रिपोर्ट ऐसे प्रपत्र में होगी जैसा विहित किया जाय।

(3) पुनर्विलोकन रिपोर्ट में–

(क) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार पर डाली गयी बाध्यताओं की पूर्ति करने में किसी विचलन या सम्भावित विचलन को स्पष्ट किया जायगा;

(ख) स्पष्ट किया जायगा कि क्या ऐसा विचलन पर्याप्त है और वास्तविक या संभावी बजट सम्बन्धी परिणामों से सम्बन्धित है, और कितना विचलन सामान्य आर्थिक पर्यावरण और राज्य सरकार द्वारा नीति परिवर्तनों के कारण है; और

(ग) उन उपचारी उपायों को स्पष्ट किया जायगा जिन्हें राज्य सरकार करने के लिए प्रस्तावित करे।

(4) जब कभी राज्य सरकार के किसी नये नीति विनिश्चय, जिससे या तो राज्य सरकार या उसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम प्रभावित हों, के कारण किसी दिये गये वर्ष के लिए पूर्व विनिर्दिष्ट स्तरों से राजस्व में कमी या व्यय के आधिक्य की संभाव्यता हो तो राज्य सरकार, ऐसे नीति विनिश्चय करने के पूर्व ऐसी धनराशियों के विनियोग का उपबंध करने के लिए किसी अधिनियम के अधीन राज्य की समेकित निधि में से संदत्त और उपयोजित की जाने वाली प्राधिकृत धनराशियों में कमी करके, या राजस्व संवर्धन के अंतरिम उपाय करके या दोनों का सम्मिलित उपाय करके चालू और भावी वर्षों के लिए राजकोषीय प्रभाव को पूर्णतः समाप्त करने का उपाय करेगी :

परन्तु संविधान के अनुच्छेद 202 के खण्ड (3) के अधीन राज्य की समेकित निधि से प्रभारित व्यय के लिए इस उपधारा की कोई भी बात लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि वित्तीय वर्षों से अनुषक्त रहने के दौरान राज्य सरकार मध्यकालिक राजकोषीय नीति में, "उच्च प्राथमिकता विकास व्यय" के रूप में परिभाषित कतिपय व्यय में कमी से संरक्षित रखने को प्राथमिकता देगी और घटा सकेगी या आंशिक कमी अधिरोपित कर सकेगी।

(5) जब कभी एक या उससे अधिक अनुपूरक प्राक्कलन विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किये जाएंगे, राज्य सरकार चालू वर्ष के बजट लक्ष्यों और भावी वर्ष के लिए मध्यकालिक राजकोषीय नीति के उद्देश्यों और लक्ष्यों के सम्बन्ध में अनुपूरक प्राक्कलन के राजकोषीय प्रभाव को पूर्णतः समाप्त करने के लिए व्यय की तत्सम कमी और/या राजस्व के सम्वर्द्धन को सूचित करने वाला विवरण भी संलग्न करेगी।

नियम बनाने की शक्ति

7. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) विशेष रूप से और पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित समस्त या किसी मामले का उपबंध कर सकते हैं, अर्थात्:—

(क) धारा 3 की उपधारा (2) और धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के प्रयोजन के लिए विहित किये जाने वाले राजकोषीय सूचक;

(ख) धारा 3 में निर्दिष्ट मध्यकालिक राजकोषीय नीति की अवधि;

(ग) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाना अपेक्षित हो या विहित किया जा सकता है।

सद्भावपूर्वक किये गये कार्य का संरक्षण

8. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियम के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गयी या की जाने के लिये आशयित किसी बात के लिये राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

अन्य विधियों का जो वर्जित न हों, लागू किया जाना

9. इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त, न कि उसके अल्पीकरण में होंगे।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

10. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध बना सकती है जैसा वह कठिनाई दूर करने के लिए उचित समझे और जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों :

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से दो वर्षों की समाप्ति के पश्चात् इस धारा के अधीन कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किये जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।

आज्ञा से,

यू0 सी0 ध्यानी,
सचिव।